from 1st January 1986 to 28th February, 1987 for change of routes and timings of trains connecting Bihar and Delhi/New Delhi, if so, the details thereof; and

(b) the action taken thereon?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MADHAVRAO SCINDIA): (a) and (b) Representations have been received for change in the route and timings of 915/916 New Delhi- Puri Express and 101/102Ho New Delhi Rajdhani Express. The present arrangements are in best interest of the travelling public.

Passenger amenities at railway stations in Bihar

1754. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state

(a) whether any representations have been received by government during the last three years for providing additional passnger facilties/amenities at various railway stations in Bihar;

(b) if so, the names of such stations where passenuger amenties had been demanded; and

(c) the amount allocated by the concerned Railway for providing such amenities during each of the past three years separately for each year including the current and the ensuring financal years?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MADHAVRAO SCINDIA): (a)to (c) The inforamtion is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

National Youth Policy

1755. SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any National Youth Policy so far; and

(b) if so, what are the details therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS AND WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI MARGARET ALVA): (a) and (b) After consultation with young persons in two national seminars, a draft youth policy incorporating the ideas of the youth has been prepared and is now under circulation to the State Governments/Union Territory Administration, Ministries/ Departments in the Government of India and Voluntary Organisations working for the welfare of the youth for comments. It is proposed to discuss the draft youth policy at a Conference of State Ministers in charge of Youth Affairs and then finalise it for being placed before the Parliament.

दूरसंचार के मामले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच असमानता

1756. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरसंचार के मामले में बड़े शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच मामूली असमानता है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों की सारी जिम्मेदारी विभाग के विभागेत्तर कर्मचारियों को सौंपदी गयी है;

(ग) क्या यह सच है कि ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में डाक पोस्ट-मास्टर नियुक्त किया जाता है, सेवाओं को चलाने के लिए अपने मकान देने पड़ते हैं जिनका उन्हें किराया नहीं दिया जाता है और ;

(घ) बड़े शहरों में इस प्रकार के डाकघरों का प्रतिशत कितना है और गांवों और शहरों के बीच असमानता बनाये रखने के क्या कारण हैं;

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख स्थानों पर दूरसंचार सेवाएं मांग और उपलब्ध साधनों के आधार पर प्रदान की जाती है। चूंकि ग्रामीण परियोजनाओं से अक्सर घाटा होता है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं प्रदान करने के लिए विशेष उदारीकृत नीतियां अपनाई जा रही हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में विभागीय डाकघरों का संबंध है, विभाग किराए पर भवन लेता है या कुछ मामलों में निजी भवन बनाता है। अतिरिक्त विभागीय डाकघरों के मामले में अतिरिक्त विभागीय उप डाकपाल/शाखा उप डाकपाल के पद के लिए चुने गए व्यक्तियों द्वारा डाक कार्य के लिए स्थान उपलब्ध कराना अपेक्षित है। ऐसे मामलों में जहां विभाग द्वारा किराया नहीं दिया जाता वहां अतिरिक्त विभागीय उप डाकपाल/शाखा-पाल कार्यालय रखरखाव भत्ते के पात्र होते हैं।

(घ) अनुमानतः शहरी क्षेत्रों में स्थित डाकघरों में 15% अतिरिक्त विभागीय डाकघर हैं। इस संबंध में असमानता का कोई प्रश्न ही नहीं आता। जहां कहीं पर्याप्त डाक कारोबार है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र ही क्यों न हो, विभागीय डाकघरों की व्यवस्था है। जहां पर कार्य पूरे दिन के लिए पर्याप्त नहीं वहां अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों द्वारा अंशकालिक डाकघर की व्यवस्था की जाती है।

मुंगेर जिले में दूरभाष केन्द्र का संचालन

1757. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैकण्डरी स्विचिंग एरिया के अंतर्गत जिला मुख्यालय-वार दूरसंचार उपखंडों के पुनर्गठन का आदेश दिल्ली से पास हो चुका है परन्तु मुंगेर जिले का दूरभाष, केन्द्र अभी भी भागलपुर और देवघर केन्द्रों से संचालित होता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि मानक उपकरणों का प्रबंध करके बरियारपुर दूरभाष केन्द्र को एस. टी. डी. सेवा द्वारा जोड़ने के संबंध में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है,

(ग) मुंगेर में एस. टी. डी. पद्धति आरंभिक कार्य के पूरा किए जाने के बाद भी उसके प्रारंभ न किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) जमालपुर में एस. टी. डी. पद्धति लगाने में कोई पर्याप्त प्रगति न होने के क्या कारण हैं;

(ङ) मुंगेर-जमालपुर के मध्य भूमिगत केबल्स बिछाने में कोई भी ठोस प्रगति न होने के क्या कारण है; और

(च) भार प्रणाली पर आधारित सार्वजनिक दूरभाष केन्द्रों को खोलने के कार्य में अब तक कोई प्रगति न होने के क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं, सेकेंडरी स्विचिंग क्षेत्र के अन्तर्गत जिला मुख्यालय वार दूरसंचार उपमंडलों के पुनर्गठन के बारे में कोई आदेश जारी नहीं किए गए वैसे, तकनीकी दृष्टि से राष्ट्रीय स्विचिंग योजना में यथा प्रस्तुत सेकेण्डरी स्विचिंग क्षेत्रों के आधार पर दूरसंचार परिसंपत्तियों का पुनर्गठन किए जाने का आदेश दे दिया गया है। तदनुसार, मुंगेर, सेकण्डरी स्विचिंग क्षेत्र को जिसका पृथक दूरसंचार जिले में सृजन करने का औचित्य नहीं बनता, ऐसे अन्य सेकेण्डरी